दिल्ली विकास प्राधिकरण

निदेशक (वित्त) का कार्यालय

(मुख्य लेखाधिकारी कक्ष के प्रथम अपीलीय सूचना प्राधिकारी)

संख्या: आर.टी.आई/ ए.ए/ डाय. (फाइ.)/ डी.डी.ए/2016-17/203/ अपील/ डी-66 दिनांक:- 24/8/16

प्रति,

श्री विजय वशिष्ठ,

पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र,

ग्राम व पोस्ट सीकरी कला,

मोदी नगर, ग़ाज़ियाबाद (उ. प्र.),

विषय:-सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील.

कृपया अपने पत्र दिनांक 18.6.2016 जो इस कार्यालय में दिनांक 13.07.2016 को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन करें जिसके द्वारा आपने अपने आर.टी.आई पत्र दिनांक 17.5.2016 के संदर्भ में प्रथम अपील की है।

इस सम्बंध में लेखाधिकारी (पेंशन)-II से पत्र सं. एफ 5(14)15/ ए ओ (पी) -II/650 दिनांक 19.8.2016 एव वरिष्ठ लेखाधिकारी (कार्य)-III से पत्र सं.1(7) व ले अ (कार्य) III/ सू अ/2016-17/288 दिनांक 25.7.2016 के द्वारा पैरा अनुसार उत्तर प्राप्त हुआ हैं इन पत्रों की फोटोकॉपी इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस पत्र के द्वारा आपकी उपरोक्त अपील का निपटारा किया जाता है।

यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी अपील सी.आई.सी, दूसरी मंज़िल, अगस्त क्रांति मार्ग, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली को 90 दिनों के भीतर की जा सकती है।

संलग्न: उपरोक्त

24/8/16

निदेशक (वित्त)

(सेवानिवृत) परामर्शदाता

(मुख्य लेखाधिकारी कक्ष के

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी)

का.प्र. 24/8

प्रतिलिपि:- निदेशक (सिस्टम) को दि.वि.प्रा की वेबसाइट पर पोस्ट करने हेतु।

24/8/16

निदेशक (वित्त)

(सेवानिवृत) परामर्शदाता

(मुख्य लेखाधिकारी कक्ष के

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी)

का.प्र. 24/8

निदेशक (वित्त)
जावक सं. 423/RTI
दिनांक 19/8/16

12/0

Delhi Development Authority
Pension Cell-II

No. F5(14)15/AO(P)-II /650 **Dated: 19.08.2016**

To

Director (Finance)
Retired/Consultant,
DDA

Sub: 1st Appeal under RTI Act, 2005.

Kindly refer to your letter No. RTI/AA/Dir(Fin)DDA/2016-17/203/Appeal/D-53 dated 20.07.2016 vide which complete information in r/o Q.1 to 5 of letter of Shri Vijay Vashishtha s/o Late Shri Rajendra, Vill & Post-Sikri Kalan, Modi Nagar, Ghaziabad, UP, in regards to Late Shri Suresh, Mali, HD-9, died on 14.11.2014 be furnished. Though the applicant has not submitted any authorization from the Legal heir of Late Shri Suresh, yet the reply to Question No. 1 to 5 except 4 is given as under:-

1. Full payment of DCRG amount of Rs. 10.00 Lakh has been made to the Shri Mohan Lal Sharma, Legal heir of Late Shri Suresh through e-payment after rectification of pay fixation in the ACP/MACP from the last DDO and clearance from the pre-audit cell.

2, 3 & 5 Certain documents were requisitioned to verify the declaration made by applicant which were apparently contradictory. There were mistakes in fixation of pay in ACP/MACP which took time in refixation of pay by the DDO (DD Hort-9) and clearance from Pre-Audit Cell. Thus there is no intentional delay in the payment of DCRG & mislead the applicant.

4. Relates to AO(W)-III.

(Signature) 19/8/1

AO(P)-II (Retd)
Consultant

(2)

निदेशक (वित्त)
डायरी सं. 380
दिनांक 25/7/16

9/c

दिल्ली विकास प्राधिकरण
वरिष्ठ लेखाधिकारी (कार्य) द्वितीय
विकास सदन नई दिल्ली

प.सं 1(7) वलेअ (कार्य) III/सूचना/2016-17/288 दिनांक 25/7/16

सेवा में

श्री एस के मिनोच्या
निदेशक (वित्त)
(अ.प्राप्त) सलाहकार
दि वि प्रा.

विषय: प्रथम अपील सूचनाधिकार अधिनियम

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र संख्या आर टी आई/एफ डी/वित्त/दिविप्रा/2016-17/202 अपील/डी.53 दिनांक 20/7/16 के संदर्भ में मांगी गई सूचनाओं का उत्तर निम्नलिखित है।

	प्रश्न	उत्तर
1	महोदय स्व श्री सुरेश पुत्र स्व श्री रघुनन्दन, दि वि प्रा में माली के पद पर तैनात थे, उनका स्वर्गवास 14-1-14 को हो गया, उनके आश्रित ने ग्रेजुएटी का भुगतान लेने के लिए फाइल सं 5(14)15/ए ओ (पी)-वि/दि वि प्रा दिनांक 23.7.15 को उद्यान खण्ड से ए ओ (पी) द्वितीय को भेजी गई, एक साल पूरा होने पर भी यह भुगतान क्यों नहीं किया	इस कार्यालय द्वारा पेन्शन विभाग से प्राप्त मिसलों को ही आडिट किया जाता है। अतः यह प्रश्न इस शाखा से सम्बन्धित नहीं है
2	शुरु में प्रार्थी द्वारा बता दिया गया कि सभी बच्चे विवाहित हैं इसके बावजूद ए ओ (पी) द्वितीय द्वारा पेन्शन सम्बन्धित अनावश्यक कागजात लाने के लिए विवश किया गया, और बाद में मना कर दिया गया कि पेन्शन नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों किया गया	— यथा — (क्रमसंख्या 1 के अनुसार)

25/7/16

8/C

	प्रश्न	उत्तर
	प्रार्थी से मिसिल में ढेरों आवश्यक कागजात मंगवाये गये, जिनका कोई प्रयोग किया गया जिनको बिना ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकता था, लेकिन सम्बन्धित अधिकारी ने प्रार्थी को गुमराह कर समय का दुरुपयोग किया गया जिसका नतीजा प्रार्थी आज तक कार्यालय के चक्कर काट रहा है ऐसा क्यों किया?	— यथा — (क्रमसंख्या 1 के अनुसार)
4	प्रार्थी ने जाँच में पाया कि अन्तिम बार मिसिल को इंधन खन्ड-9 से 4.3.16 को ए.ओ.(पी) द्वितीय को भेजी गई, सम्बन्धित अधिकारी श्री कान्हिद पाल जी ने एक माह बीत जाने पर मिसिल को जाँच करना भी जरूरी नहीं उठाई, प्रार्थी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिला अधिकारी द्वारा स्टाफ कम होने का कारण बताते हुए कमरे से बाहर जाने का आदेश सुना डाला, प्रार्थी द्वारा करीब 10 बार मौखिक रूप से प्रार्थना कि गई मुझे मेरा ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाये सम्बन्धित अधिकारी ने इसे प्रमुखता से क्यों नहीं लिया	मिसिल का प्री आडिट श्री कान्हिद पाल जी को दिया गया जो कि सलाहकार/स.ले.अधि. के रूप में (WAG III) में कार्य करते है। फाइल को प्री आडिट करने के पश्चात पे फिक्सेसन में कुछ त्रुटियां पाई गई जिनमें सुधार के लिए पेंशन विभाग को मिसिल में लिखित में बताया गया। इस सम्बन्ध में सहायक निदेशक पेंशन को दिनांक 3.6.2016 आर.टी.आई. का जवाब के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है
5	क्यों न आश्रित को भुगतान ब्याज सहित किया जाय जबकि आश्रित को बताये गये कागजात समय पर जमा करा दिये गये यदि मिसिल में प्रशासनिक समस्या थी तो उसे [illegible] एक [illegible] 5 माह में पूर्ण किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।	इसका उत्तर क्रमसंख्या-1 के अनुसार है।

सोमदत्त 23/7/16
सहायक लेखाधिकारी (कार्य)

सलाहकार/स.ले.अ. III

23/7/16
वरि. लेखाधिकारी (कार्य) III

उपरोक्त उत्तर उ.मु.लेखाधिकारी (कार्य) की सहमति से जारी किया गया।